

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 — भाद्रपद 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2020

अधिसूचना
संख्या 59/2020—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-66/2020/वाक/पांच (95).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2019—राज्य कर क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46) दिनांक 23 अप्रैल, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 131 तारीख 24 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, “जुलाई 2020 के 15वें दिन” अंको और शब्दों के स्थान पर “अगस्त 2020 के 31वें दिन” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13-07-2020 से जारी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 10-66/2020/वाक/पांच (95).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-66/2020/वाक/पांच (95) दिनांक 06-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th August 2020

NOTIFICATION
No. 59/2020- State Tax

No. F 10-66/2020/CT/V(95).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 21/2019-State Tax, No. F-10-19/2019/CT/V(46), Chhattisgarh Commercial Tax Department Dated 23th April, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh No. 131 dated 24th April, 2019 namely :-

In the said notification in the third paragraph, in the first proviso, for the figures, letters and words “15th day of July, 2020”, the figures, letters and words “31st day of August, 2020” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 13th day of July 2020

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary